"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 313] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 7 दिसम्बर 2010—अग्रहायण 16, शक 1932

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 7 दिसम्बर, 2010 (अग्रहायण 16, 1932)

क्रमांक-12506/वि. स./विधान/2010.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 26 सन् 2010) जो दिनांक 7 दिसम्बर, 2010 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 26 सन् 2010)

छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2010

छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 (क्रमांक 19 सन् 1995) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1\. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहलायेगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

अनुसूची का संशोधन.

2\. छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 (क्रमांक 19 सन् 1995) में संलग्न अनुसूची में कॉलम क्रमांक (2) के सरल क्रमांक 6 के पश्चात् निम्नलिखित सरल क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्त:स्थापित की जाए, अर्थात् :-

अनुसूची

[धारा 4 (1) देखिए]

स. क्र. (1)	समिति का नाम (2)	सदस्यों की संख्या (3)
7.	नारायणपुर	10
8.	बीजापुर	10

उद्देश्यों और कारणों का कथन

1\. छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 की धारा 4 की उपधारा (1) की अनुसूची में नवीन जिले बीजापुर एवं नारायणपुर तथा इन जिलों में सदस्यों की संख्या शामिल न होने के कारण जिला योजना समिति के सदस्य के निर्वाचन में कठिनाई आ रही है. इसीलिए उक्त अधिनियम में दोनों जिले तथा जिला योजना समिति के सदस्यों की संख्या शामिल करने हेतु छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 (क्रमांक 19 सन् 1995) में संशोधन किया जाना आवश्यक है.

2\. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर

दिनांक 4 दिसम्बर, 2010

डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 (क्रमांक 19 सन् 1995) की धारा 4 (1) का सुसंगत उद्धरण :-

* * * * * * * * * * * * * *

4 (1) **समितियों की संरचना** :-समिति में भिन्न-भिन्न जिलों में 10, 15 या 20 सदस्य होंगे जैसा कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया जाए,

"अनुसूची"

[धारा 4 (1) देखिए]

क्र. (1)	समिति का नाम (2)		सदस्यों की संख्या (3)
1.	निम्नलिखित जिलों की जिला योजना समिति		10
	1.	कोरिया	
	2.	जशपुर	
	3.	कवर्धा	
	4.	धमतरी	
	5.	कांकेर	
	6.	दंतेवाड़ा	

* * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2010